न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 43/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/63

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
मोटाराम पुत्र लच्छाराम जाति कलबी,चौधरी निवासी वरिया वरेचा हाल निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.आसूसिंह पुत्र विशनसिंह 2.उदयसिंह पुत्र विशनसिंह 3.कुंपसिंह पुत्र विरदसिंह 4.केशरसिंह पुत्र मंगलसिंह 5.चतरसिंह पुत्र मंगलसिंह 6.चैनसिंह पुत्र मंगलसिंह 7.देवीसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत 8.नवा पुत्र लच्छा जाति कलबी,चौधरी 9.पुजराजसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत 10.बागा पुत्र लच्छा के वारिसान 10/1.अणदाराम पुत्र बागाराम उर्फ वागा 10/2.पीराराम पुत्र बागाराम उर्फ वागा 11.भंवरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत 12.मनोहरसिंह पुत्र ओकसिंह जाति राजपूत 13.रूपा पुत्र चिमना जाति दर्जी 14.विजयराजसिंह पुत्र मंगलसिंह 15.शम्भूसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत निवासी वरिया वरेचा तहसील पचपदरा 16.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री भगवतसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

:–आदेश:–

दिनांक 21/07/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम वरिया वरेचा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 152 क्षेत्रफल 0.25902 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम भोमाराम पुत्र लच्छा दर्ज कर लिया गया,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोटाराम पुत्र लच्छाराम है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि भोमाराम पुत्र लच्छा के स्थान पर सही नाम मोटाराम पुत्र लच्छाराम इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 2 व 7 से 11,14 एवं 16 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया,जो शामिल मिसल किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 6,12,13 एवं 15,16 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही हुए।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम वरिया वरेचा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 152 क्षेत्रफल 0.25902 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम भोमाराम पुत्र लच्छा दर्ज कर लिया गया,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोटाराम है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अशुद्व प्रविष्टि एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम मोटाराम दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी के अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व नाम भोमाराम पुत्र लच्छा के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि मोटाराम पुत्र लच्छा इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

4. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम वरिया वरेचा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 152 क्षेत्रफल 0.25902 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थी का नाम भोमाराम पुत्र लच्छा इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड प्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रति,आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड प्रति एवं पेशन पी.पी.ओ. प्रति में प्रार्थी का नाम मोटाराम पुत्र लच्छाराम दर्ज है तथा विवादित आराजी के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 2 व 7 से 11,14 एवं 16 ने अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम भोमाराम दर्ज है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोटाराम है तथा रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने पर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उन्हे आपति नही है,जो कि अपने आप में पर्याप्त है कि प्रार्थी का विवादित आराजी में अशुद्व नाम दर्ज है। इसके अलावा अन्य सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 211/64,14, व 212/64 भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम मोटाराम दर्ज हो रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं इकबाली जवाब से भी साबित है कि प्रार्थी विवादित आराजी में अशुद्व नाम प्रविष्टि को दुरूस्त करवाने का हकदार बनता है। विप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार पचपदरा द्वारा भी अपने जवाब में प्रार्थी का अशुद्व नाम भोमाराम के स्थान पर मोटाराम दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा की गई है। इस प्रकार प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम भोमाराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि मोटाराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम वरिया वरेचा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 152 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि भोमाराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि मोटाराम पुत्र लच्छाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
21/7/25

आदेश आज दिनांक 21/07/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
21/7/25